किन कृत्य को रैंगिंग माना जाता है -

1. किसी छात्र अथवा छात्रों द्वारा नए आनेवाले छात्र का मौखिक शब्दों अथवा लिखित वाणी द्वारा उत्पीड़न अथवा दुर्व्यवहार करना।
2. छात्र अथवा छात्रों द्वारा उत्पात करना अथवा अनुशासनहीनता का वातावरण बनाना जिससे नए छात्रको कष्ट, आक्रोश, कठिनाई, शारीरिक अथवा मानसिक पीड़ा हो।
3. किसी छात्र से ऐसे कार्य को करने के लिए कहना जो वह सामान्य स्थिति में न करे तथा जिससे नए छात्र में लज्जा, पीड़ा, अथवा भय की भावना उत्पन्न हो।
4. वरिष्ठ छात्र द्वारा किया गया कोई ऐसा कार्य जो किसी अन्य अथवा नए छात्र के चलते हुए शैक्षिणकार्य में बाधा पहुँचाए।
5. नए अथवा किसी अन्य छात्र का दूसरों को दिए गए शैक्षिण कार्य को करने हेतु बाध्य कर शौषण करना।
6. नए छात्र का किसी भी प्रकार से आर्थिक शोषण करना।
7. शारिरिक शोषण का कोई भी कार्य / किसी भी प्रकार का यौन शौषण, समलैगिंक प्रहार, नंगा करना, अश्लील तथा काम संबंधी कार्य हेतु विवश करना, अंग चालन द्वारा बुरे भावों की अभिव्यक्ति करना, किसी प्रकार का शारीरिक कष्ट जिससे किसी व्यक्ति अथवा उसके स्वास्थ को हानि पहुँचे ।
8. मौखिक शब्दो द्वारा किसी को गाली देना, ई-मेल, डाक, पब्लिकली किसी को अपमानित करना, किसी को कुमार्ग पर ले जाना, स्थानापन्न अथवा कष्ट देना या सनसनी पैदा करना जिससे नए छात्र को घबराहट हो।
9. कोई कार्य जिससे नए छात्र के मन मस्तिष्क अथवा आत्मविश्वास पर दुष्प्रभाव पड़े। नए अथवा किसी छात्र को कुमार्ग पर ले जाना तथा उस पर किसी प्रकार की प्रभुता दिखाना।

रैगिंग विरोधी समिति रैगिंग विरोधी दल द्वारा निर्धारित किए गए अपराध के स्वरूप और गम्भीरता को देखते हुए निम्नलिखित में को कोई एक अथवा अनेक दण्ड दे सकती है

1. कक्षा में उपस्थित होने तथा शैक्षिक आधिकारियों से निलम्बन।
2. छात्रवृत्ति/छात्र अध्येतावृत्ति तथा अन्य लाभों को रोकना / वंचित करना।
3. किसी टैस्ट/परीक्षा अथवा अन्य मूल्यांकन प्रक्रिया में उपस्थित होने से वंचित करना।
4. परीक्षाफल रोकना।
5. किसी प्रादेशिक, राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय मीट, खेल, युवा महोत्सव आदि में संस्था का प्रतिनिधित्व करने से वंचित करना।
6. छात्रावास से निष्कासित करना।
7. प्रवेश रद्द करना।
8. संस्था से 04 सत्रों तक के लिए, निष्कासन करना।
9. संस्था से निष्कासित करना। जब रैगिंग करने अथवा रैगिंग करने के लिए भड़काने वाले व्यक्तियों की पहचान न हो सके संस्था सामूहिक दण्ड का आश्रय ले।

रैगिंग विरोधी समिति द्वारा दिए गए दण्ड के विरूद्ध अपील (प्रर्थना) निम्नलिखित से की जाएगी।

1. किसी विश्वविद्यालय से संबंद्ध संस्था होने पर कुलपति से।
2. महाविद्यालय का आदेश होने पर प्राचार्य से।
3. संसद के अधिनियम के अनुसार निर्मित राष्ट्रीय महत्व की संस्था होने पर उसके चेयरमैन अथवा चांसलर अथवा स्थिति के अनुसार।

रैगिंग संबधी किसी भी प्रकार शिकायत हेतु निम्न फोन न० पर सुचित करें

माननीय प्राचार्य महोदय फोन न0 07662-252670

माननीय प्रशासनिक अधिकारी महोदय फोन न0 07662-252694, E-mail: hegtrscrew@mp.gov.in

<u>आवेदक की घोषणायें</u>

मैं घोषणा करता हूं/करती हूं कि -

1. मैं महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के समस्त नियमों/निर्देशों/ सूचनाओं एवं आचरण संहिता का पूर्णरूपेण पालन करूंगा/करूंगी।

2. शासन / महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के नियम / अनुशासन व व्यवस्था के प्रति वचनवद्ध रहूंगा /रहूंगी। अपना व्यवहार संयत, शालीन एवं विनम्र रखते हुए प्रत्येक प्रकरण में प्राचार्य / संचालक/शिक्षकों के निर्णय का पालन करूंगा/करूंगी।

3. ऐसी किसी भी गतिविधि में भाग नहीं लूंगा/लूंगी जिससे महाविद्यालय/विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा एवं निहित उददेश्यों का अहित हो ।

4. मैं कक्षा से अकारण अनुपस्थित नहीं रहूंगा/ रहूंगी। कक्षा में 75 प्रतिशत उपस्थिति की अनिवार्यता का पालन करूंगा/करूंगी, अन्यथा मुझे परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता नहीं होगी ।

5. मैं किसी प्रकार की रैगिंग / अनुशासनहीनता की गतिविधियों में भाग नहीं लूंगा/लूँगी।

6. मैं महाविद्यालय/विश्वविद्यालय की किसी भी नीति की सार्वजनिक आलोचना नहीं करूंगा / करूंगी अपितु किसी समस्या की स्थिति में महाविद्यालय/विभाग के शिक्षकों के सहयोग से उसे दूर करूंगा / करूंगी।

7. संस्था परिसर में कभी भी बिना परिचय पत्र के एवं अनाधिकृत रूप से घूमता / घूमती नहीं पाया जाउगा/पाई जाउगी ।

8. प्रोक्टोरियल कमेटी के समक्ष जब भी बुलाया जायेगा मैं उपस्थित रह कर कमेटी के निर्णय को मान्य करूंगा/करूंगी ।

09. मेरे विरूद्ध पूर्व में अनुशासनहीनता / दुराचार/रैगिंग / नकल प्रकरण / अन्य अपराधिक कृत्य के विरूद्ध कोई न्यायालयीन / महाविद्यालय द्वारा कार्यवाही नहीं की गई है, एवं मेरे विरूद्ध पुलिस थाने में कोई प्रकरण दर्ज नहीं है। यदि हां तो विवरण दे

10. मेरे द्वारा प्रवेश के समय दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है। किसी भी तथ्य को न तो छुपाया है और न ही कोई असत्य / भ्रामक जानकारी दी है।

11. उपर्युक्त घोषणा का उल्लंघन करने की स्थिति में प्राचार्य / संचालक / महाविद्यालय प्रशासन को महाविद्यालय से मेरा प्रवेश निरस्त करने तथा वैधानिक कार्यवाही करने का अधिकार होगा ।

स्थानः
दिनांक: / /

छात्र के हस्ताक्षर ....
छात्र का मोबाईल नं. ....
अभिभावक के हस्ताक्षर ....
अभिभावक का मोबाईल नं..........................